न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2025 G.C.M.S. No. 2025/04 पत्रावली दिनांक : 13.01.2025

अपीलार्थी:

1. कस्तुदेवी पत्नि जगाराम, उम्र 58 वर्ष, जाति रेबारी, निवासी पोषाणा, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जसाराम पुत्र धुकाराम, जाति माली, निवासी उनडी, तहसील सायला, जिला जालोर।
2. उस्मान खां पुत्र रमुखां
3. गफूर खां पुत्र जेसेखां
4. गेबेखां पुत्र मोडेखां
5. जबरखां पुत्र सवेखां
6. ढफा बानो पुत्री सवेखां
7. दाउदखां पुत्र देवेखां
8. नबुखां पुत्र जेसेखां
9. नीतु बानो पुत्री सवेखां
10. भीखा पुत्र देवेखां
11. मंजू बानू पत्नि सुमारखां
12. मफारखां पुत्र सवेखां
13. मेहमूदा पुत्री सवेखां
14. मीठेखां पुत्र मोडेखां
15. रोशन बानु पत्नि देवेखां
16. सुगरो पुत्री सवेखां
17. संजय खां पुत्र देवेखां
18. सतरखां पुत्र रमुखां
19. भूरेखां पुत्र देवेखां
20. सायरो पत्नि सवेखां, जाति कोटवाल फौत के वारिसान रेस्पोंडेंट संख्या 5, 6, 9, 12, 13 व 16 समस्त जातियान कोटवाल, निवासीगण उनडी, तहसील सायला, जिला जालोर।
21. भोलाराम पुत्र भभूताराम, जाति रेबारी, निवासी उनडी, तहसील सायला, जिला जालोर। (रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 21 तक तर्क)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2023 बअनवान जसाराम बनाम उस्मान खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.01.2025

पैरोकार–

1. श्री साबिर हुसैन, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2023 बधनवान जसाराम बनाम उस्मान खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 जसाराम ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की नवीन प्रति स्थापित धारा 251–क यथा अधिनियम क संशोधित अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010 (2012 का अधिनियम संख्यांक 1) तथा राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम 1955 के नवीन प्रतिस्थापित अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन निर्धारित प्रपत्र प्रारूप–1 प्रस्तुत किया है। उक्त प्रतिस्थापित व संशोधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रारूप 1 वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदारी आराजी सरहद मौजा प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत ग्राम उनडी पटवार हल्का पोषाणा तहसील सायला, जिला जालोर में स्थित है। सरहद मौजा उनडी पटवार हल्का पोषाणा, भू.अ.नि.क्षे. मंगलवा, तहसील सायला में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर–1436 का रकबा 2.4700 किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में अंकित अ, ब, स बरंग लाल से दर्शाये हुए अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर–1436 से विप्रार्थी संख्या–01 से 20 के खेत खसरा नम्बर–1426 के दक्षिणी सेढे–सेढे होते हुए विप्रार्थी संख्या–21 के खेत खसरा नम्बर–1427 के दक्षिणी सेढे–सेढे होते हुए पोषाणा से भीनमाल जाने वाली डामर सडक मार्ग खसरा नम्बर–947 तक जाता है। प्रार्थी के खेत के आवागमन के रास्ते को सुस्पष्ट करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ पेश किया है, जिसमें मार्क अ, ब, स रंग लाल रास्ता जो प्रार्थी के खेत से मुख्य पोषाणा से भीनमाल जाने वाले डामर सडक मार्ग से मिलता है। जिस पर प्रार्थी आवागमन करता है तथा उक्त मार्ग भीनमाल जाने वाले डामर सडक मार्ग से मिलता है, जिस पर प्रार्थी आवागमन करता है तथा उक्त मार्ग विगत पीढीयों से सुचारू रूप से खुला है। उक्त बरंग लाल रास्ते पर आवागमन के बाबत् विप्रार्थीगण के हक में पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नही की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर अवरोध पैदा करने हेतु आमादा हुए तथा मौके पर अवरोध पैदा कर दिया तथा इसी रास्ते से प्रार्थी अपने ट्रैक्टर, हल कृषि औजार इत्यादि को लाने ले जाने तथा आवागमन करता रहा है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपने खेत में जाने हेतु मौजूद नहीं हैं तथा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में अ. स

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

बरंग लाल रास्ता ही प्रार्थी के खेत में आवागमन का एकमात्र कटाण मार्ग डामर सडक से सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर–1436 का रकबा 2.4700 किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में अंकित अ, ब, स बरंग लाल से दर्शाये हुए अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर–1436 से विप्रार्थी संख्या–01 से 20 के खेत खसरा नम्बर–1426 के दक्षिणी सेढे–सेढे होते हुए विप्रार्थी संख्या–21 के खेत खसरा नम्बर–1427 के दक्षिणी सेढे–सेढे होते हुए पोषाणा से भीनमाल जाने वाली डामर सडक मार्ग खसरा नम्बर–947 तक जाता है, जिसको संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में अ, ब, स बरंग लाल दर्शाया गया है, प्रार्थी उक्त रास्तों को 20 फीट चौडा कटाण मार्ग घोषित करवाना चाहता है। जो मौके पर चालु हालात में चल रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट जरिये नोटिस तलब किया गया, अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु अवसर चाहा, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने आनन–फानन में रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता प्रदान करने का निर्णय पारित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है कि अपीलान्ट पर नोटिस तामिल होने के पश्चात् अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–12–2024 को वास्ते जवाब हेतु नियत की गई, अपीलान्ट द्वारा जवाब हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन करने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही तथा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही तथा अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 व अन्य रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी आराजीयान में आने जाने हेतु खसरा नम्बर–1420, 1421, 1422 व 1423 के लगते हुए ग्रेवल सडक मौजूद है तथा रेस्पोंडेन्ट्स कदीमी से उसी ग्रेवल रोड से अपनी खातेदारी आराजीयान में आते जाते रहते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के उपबन्धों में नया रास्ता स्थापित करते समय न्यूनतम दूरी का ही रास्ता दिया जाना आवश्यक होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया है। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या–01 लगायत 20 के खेतों में जाने हेतु पहले से ही ग्रेवल सडक मौजूद है, जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 लगायत 20 के खेत तक आती हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में केवल मात्र मौका रिपोर्ट पर विश्वास कर अपने विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी

मस्तिष्क का प्रयोग न कर जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सायला द्वारा प्रेषित अधी-अधूरी जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि तहसीलदार सायला द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई तथा दिनांक 02-01-2025 को पत्रावली मौका रिपोर्ट तहसीलदार सायला हेतु मुकर्रर थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में उसी दिन दिनांक 02-01-2025 को जैर अपील निर्णय पारित कर दिया, ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हरसूरत में निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध ग्राम उनडी तहसील सायला जिला जालोर में अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1436 तक पहुंच के लिए नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शाए अनुसार खसरा संख्या 1426 व 1427 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1436 एवं अन्य रेस्पोंडेंट की आराजीयात में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 1420, 1421 व 1422 व 1423 के लगते मौके पर ग्रेवल सड़क मौजूद व चलायमान है। जहां से प्रार्थी व अन्य खातेदार आवागमन करते हैं। अतः प्रार्थी की आराजी के लिए रास्ते का कोई अभाव नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब व सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी के विकल्प का परीक्षण किए बिना रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। अतः अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट सहित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रकरण में भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित भू.अ.नि. द्वारा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन व वांछित अनुतोष अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए एकमात्र विकल्प खसरा संख्या 1426 व 1427 में से प्रस्तावित किया गया। भू.अ.नि द्वारा प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए वर्तमान में पहुंच मार्ग का अभाव, रास्ते की मांग आत्यांतिक आवश्यकता पर है या नहीं तथा निकटतम दूरी एवं उपलब्ध विकल्पों की जांच व परीक्षण किए बिना मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1436 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 1430 व 1433 में से निकटतम दूरी का विकल्प होता है न कि खसरा संख्या 1426 व 1427 में से। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौके के गूगल मैप फोटोग्राफ्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1420, 1421, 1422 व 1423 से लगते हुए ग्रेवल सड़क मौके पर मौजूद व चलायमान है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग का कोई अभाव नहीं हैं। लेकिन भू.अ.नि द्वारा उक्त बिंदु का परीक्षण किए बिना महज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुरूप जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया।

5. प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यह स्वयं अंकित किया है कि "विप्रार्थीगण मौके की स्थिति को बदलने तथा चालु रास्ते को बंद करने के उपक्रम करेंगे।" "विप्रार्थीगण प्रार्थी को धमकी दे चुके हैं कि तुम्हारें खेत में आने–जाने के कदीम से चल रहे चालु रास्ते का अवरोध खड़ा कर तथा निर्माण कार्य कर बंद कर देंगे।" इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के पद संख्या V (D) में यह अंकित किया है कि "प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1436 में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में अंकित अ, ब, स बरंग लाल द्वारा दर्शाए अनुसार प्रार्थी के खेत से विप्रार्थी संख्या 1 से 20 के खेत खसरा संख्या 1426 के दक्षिण सेढ़े–सेढ़े होते हुए विप्रार्थी संख्या 21 के खेत खसरा संख्या 1427 के दक्षिणी सेढ़े–सेढ़े होते हुए पोषाणा से भीनमाल डामर सड़क मार्ग तक जाता है।" अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व से मौके पर कदीम से चलायमान रास्ता है। अर्थात रास्ते का आत्यंतिक अभाव नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में धारा 251–क के अंतर्गत कोई कार्यवाही अनुमत नहीं होती हैं। विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति पर विचारण किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनन भूल की हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने एवं अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2023 बअनवान जसाराम बनाम उस्मान खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.01.2025 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली